वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

कार्यवाही विवरण

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल की 88 वीं बैठक दिनांक 14 जून 2014 को अपरान्ह पूर्व 11.30 बजे क्षेत्रीय केन्द्र कार्यालय, जयपुर में आयोजित की गई, बैठक में निम्नलिखित सदस्यों द्वारा भाग लिया गया:–

01.	प्रो0 विनय पाठक कुलपति, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।	अध्यक्ष
02.	श्री मधुकर गुप्ता संभागीय आयुक्त, जयपुर एवं प्रतिनिधि वित्त विभाग, राज0 सरकार।	सदस्य
03.	श्री पी0के0गोयल प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।	सदस्य
04.	प्रो0 एम0 एम0 सालुंखे सलाहकार, केन्द्रीय विश्वविद्यालय,जम्मू	सदस्य
05.	प्रो0 श्रीमती मंजूलिका श्रीवास्तव दूरस्थ शिक्षा इंदिरा गांधी रा0मु0वि0वि0, नई दिल्ली।	सदस्य
06.	प्रो0 प्रदीप साहनी स्कूल आफ सोशियल सांइस इंदिरा गांधी रा0मु0वि0वि0, नई दिल्ली।	सदस्य
07.	प्रो0 एल0 आर0 गुर्जर आचार्य, राज0 विज्ञान वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।	सदस्य
08.	डा0 अरविंद पारीक निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।	सदस्य
09.	श्री बी0एल0 कोठारी कुलसचिव वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।	सचिव
10.	डा0 सुरेश चंद्र शर्मा वित्त अधिकारी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।	विशेष आमंत्रित

आवश्यक गणापूर्ति के बाद सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय द्वारा सदन में उपस्थित समस्त सदस्यों का स्वागत करते हुए प्रबंध मंडल की गत बैठक से आज दिनांक तक विश्वविद्यालय में हुई गतिविधियों की विस्तारपूर्वक जानकारी से सदन को अवगत करवाया, वित्त विभाग के प्रतिनिधि श्री मधुकर गुप्ता एवं कुलाधिपति महोदया की प्रतिनिधि प्रो0 श्रीमती मंजूलिका श्रीवास्तव का विचार था कि निर्धारित मापदंडों के अनुसार स्टाफ की आवश्यकता तथा स्टाफिंग पेर्टन के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी के साथ प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए, अध्यक्ष महोदय द्वारा दोनों सदस्यगणों के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए कुलसचिव को इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। तदुपरांत कार्यसूची विवरण में प्रस्तुत प्रस्तावों पर बिंदुवार चर्चा प्रारंभ हुई तथा निम्नानुसार निर्णय किए गए:-

88/01 प्रबंध मंडल की 87वीं बैठक दिनांक 06 जनवरी 2014 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

प्रबंध मंडल की 87वीं बैठक दिनांक 06 जनवरी 2014 का कार्यवाही के अनुमोदन के दौरान श्री मधुकर गुप्ता ने विद्या परिषद अथवा वित्त समिति के कार्यवाही विवरणों के अनुमोदनों की प्रकिया के सम्बन्ध में नियमों की जानकारी चाही गई, जिस पर सदन को अवगत करवाया गया कि इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव इस बैठक में ही प्रस्तुत किया जा रहा है,जिस पर सदन को उचित निर्णय करना है,उक्त जानकारी के बाद सदन द्वारा प्रबंध मंडल की 87वीं बैठक में प्रस्तुत विद्या परिषद की 46वीं बैठक एवं वित्त समिति की 51वीं बैठक के कार्यवाही विवरण के अतिरिक्त, प्रबंध मंडल की 87वीं बैठक के कार्यवाही विवरण के प्रस्ताव संख्या 87/14 में चयन समितियों की अनुशंसाओं में सहायक आचार्य समाज शास्त्र के लिए एक पद एवं निदेशक क्षे0के0 के एक पद के लिए वेटिंग लिस्ट के अनुमोदन सहित कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

88/02 प्रबंध मंडल की 87वीं बैठक दिनांक 06 जनवरी 2014 के निर्णयों की अनुपालना की सूचना।

अनुपालना प्रतिवेदन का अवलोकन कर की गई कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया गया।

88/03 वैधानिक संस्थाओं के संपूर्ण कार्यवाही विवरणों को सीधे ही प्रबंध मंडल से अनुमोदन करवाने की प्रकिया के सम्बन्ध में प्रस्ताव विचारार्थ एवं निर्णयार्थ।

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान माननीय सदस्य श्री मधुकर गुप्ता एवं प्रदीप साहनी का विचार था कि कार्यवाही विवरणों को पूर्व की भांती ही प्रबंध मंडल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए।

88/04 विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कुछ पाठ्यक्रमों को स्थगित किए जाने की सूचना।

सदन द्वारा निम्नलिखित पाठ्यक्रमों को स्थगित किए जाने की सूचना को नोट किया गया :–

क्रम संख्या	पाठ्यक्रम का नाम/ कोड नंबर
01	DTM
02	DAM
03	CTG
04	CSM
05	PGDTH
06	CCA
07	DCA
08	CIH
09	LLM
10	Certificate in Programming in C++JAVA
11	Certificate in Programming in VB-2005DOT NET
12	Certificate in computer Awareness & Training Prog.For Beg.
13	Certificate in Programming
14	Certificate in application Soft.and web Designing
15	Certificate in computerNetworking and interner
16	Diploma in Computer in office Management
17	राजस्थानी भाषा में प्रमाण पत्र कार्यक्रम
18	दूरस्थ शिक्षा में प्रमाण पत्र कार्यक्रम
19	निर्देशन एवं परामर्श में डिप्लोमा कार्यक्रम
20	पोस्ट ग्रजुएट डिप्लोमा व इनवायरमेंट एण्ड सस्टेनेबल डवलपमेंट कार्यक्रम
21	बैचलर एवं ट्युरिज्म एवं ट्रेवल मैनजमेंट कार्यक्रम
22	एम0ए0 गांधी एवं शांती अध्ययन के स्नातकोत्तर कार्यक्रम
23	पत्रकारिता विभाग द्वारा संचालित PGDBJ कार्यक्रम
24	पत्रकारिता विभाग द्वारा संचालित PGDMC कार्यक्रम

(3/12)

88/05 अर्थशास्त्र में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को पार्वती किशोर छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव विद्या परिषद की 48वीं बैठक दिनांक 10 अप्रेल 2014 को प्रस्तुत किया गया था, जिसके अनुसार डा0 आदर्श किशोर सक्सैना ने अपनी स्व0 माताजी श्रीमती पार्वति किशोर के नाम से अर्थशास्त्र विषय के एम0ए0 स्तरीय कार्यक्रम में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली छात्रा को स्कालरशिप प्रदान करने के लिए रू0 100000/– (एक लाख रूपये) वि0वि0 को प्रदान किए है,उनकी इच्छा के अनुसार इस राशि की एफ0डी0 करवा दी गई है,और इस एफ0डी0 पर प्राप्त ब्याज की राशि से यह स्कालरशिप प्रदान की जानी है। इस विश्वविद्यालय में एक वर्ष में दो सत्रांत परीक्षाऐं आयोजित होती है,अतः प्रत्येक सत्रांत परीक्षा की एक छात्रा को उक्त स्कालरशिप दी जानी है,इस प्रकार एक वर्ष में दो छात्राओं को यह स्कालरशिप दी जाएगी। विद्या परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव को लागू करने एवं व्यवहारिक पहलूओं पर विचार कर स्वीकार कर लिया गया है, साथ ही इससे विश्वविद्यालय पर कोई अतिरिक्त वित्तिय भार भी नहीं आएगा। अतः विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों को निजी व्यक्ति/संस्था द्वारा प्रोयोजित स्कालरशिप प्रदान किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए भविष्य में इस सम्बन्ध में निर्णय हेतु विद्या परिषद को अधिकृत किया जाना प्रस्तावित है।

<u>निर्णय</u>:– प्रबंध मंडल द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए निर्णय दिया कि इस प्रकार प्राप्त होने वाले प्रस्तावों के सम्बन्ध में प्रायोजित करने वाली संस्था/व्यक्ति तथा जिसके नाम से मैडल/स्कालरशिप प्रायोजित किया जा रहा है उसकी सामजिक प्रतिष्ठा एवं साख के सम्बन्ध में सुनिश्ति होने के बाद ही इस प्रकार के प्रस्तावों को स्वीकार किया जाए ताकि विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़े।

88/06 विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कार्यक्रमों में प्रवेश एवं मूल्यांकन व रिसर्च से सम्बन्धित नवीन आर्डिनेंस अनुमोदन का प्रस्ताव।

सदस्यगणों द्वारा प्रस्ताव पर विचार विमर्श करते हुए यह जानकारी चाही गई कि पूर्व आर्डिनेंसेस एवं नव प्रस्तावित आर्डिनेंसस में क्या भिन्नता है,तत्काल उक्त जानकारी उपलब्ध नहीं होने पर सदन द्वारा प्रस्तावित आर्डिनेंस अनुमोदन में कठिनाई व्यक्त किए जाने पर माननीय कुलपति महोदय द्वारा सदन को जानकारी दी गई कि चूंकि प्रस्तावित आर्डिनेंसस के अनुसार वि0वि0 द्वारा प्रवेश विज्ञापन जारी कर दिया गया है, सदस्यगणों द्वारा चाही गई जानकारी प्रबंध मंडल की आगामी बैठक में उपलब्ध करवा दी जाएगी।

उक्त जानकारी के बाद सदन द्वारा आर्डिनेंस का अनुमोदन करते हुए व्यवस्था दी कि आगामी बैठक में पूर्व एवं वर्तमान आर्डिनेंस को टेबुलेशन रूप में प्रस्तुत किया जाए।

(4/10)

88/07 सतत् शिक्षा विद्यापीठ से शिक्षा विभाग को अलग कर एक नवीन विद्यापीठ के गठन का प्रस्ताव।

सतत् शिक्षा विद्यापीठ से शिक्षा विभाग को अलग कर एक नवीन विद्यापीठ(स्कूल आफ एज्युकेशन) के गठन के प्रस्ताव को प्रबंध मंडल द्वारा अनुमोदन करते हुए निर्णय किया गया कि विश्वविद्यालय अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार स्टेच्युट्स में संशोधन हेतु आगामी कार्यवाही की जाए।

88/08 विश्वविद्यालय अधिनियम में वर्णित स्टेच्युट्स में संशोधन सम्बन्धी विभिन्न प्रस्ताव।

(1) विश्वविद्यालय अधिनियम में वर्णित स्टेच्युट्स 03 जो कि निदेशकों के सम्बन्ध में है, मैं निम्नलिखित प्रावधान वर्णित है:–

1- A Person shall be appointed as Director by the Board of Management on the recommendation of the Vice Chancellor

(i) In case of such person being a teacher in the University on the recommendation of the Vice Chancellor

(ii) In any other case on recommendation of the selection committee constituted for the purpose by the said Board

2- A director shall be a whole time officer of the University

3- There shall be appointed as many directors as the Board of Management deem proper and one of the director shall be in-Charge of the administrative affairs of the teachers

4- The salary,allowances and other conditions of serice of the directors shall be such as may be prescribed by the ordinances of the University

5- A director shall be retire on attaining the age of sixty years

6- A director shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed by the Ordinace of the University.

राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय में मुख्यालय के लिए निम्नलिखित 03 निदेशकों के पद प्रोफेसर की वेतन श्रृंखला के समकक्ष वेतन में सृजित किए हुए है:–

1. निदेशक , क्षेत्रीय सेवा
2. निदेशक, योजना एवं विकास
3. निदेशक, विज्ञान एवं तकनीक

निदेशक सम्बन्धी स्टेच्युट्स में परिर्वतन की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से महसूस की जा रही है:–

1. मूल अधिनियम में कुलपति का पद रिक्त होने पर उक्त पद का कार्यभार वरिष्ठतम निदेशक को दिए जाने की व्यवस्था की गई थी, जबकि राज्य विधान मंडल द्वारा पारित संशोधित अधिनियम 2013 में उक्त व्यवस्था को बदलकर वरिष्ठतम निदेशक की बाध्यता समाप्त कर दी गई है।

2. विश्वविद्यालय की स्थापना 1987 के बाद से अब तक कई विभागों एवं उनके कार्यो का पुर्नगठन हो गया है,अतः उक्त तीन निदेशकों के अतिरिक्त भी व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु कई निदेशकों के पद सृजित कर उन पर वि0वि0 शिक्षकों से ही (बिना किसी अतिरिक्त वेतन भत्ते) कार्य करवाया जा रहा है।
3. विश्वविद्यालय में समय समय पर कई पाठ्यक्रम छात्रों की संख्या के आधार पर बंद/स्थगित किए जाते रहते है,ऐसी स्थिति में कई शिक्षकों के पास कार्यभार कम हो जाता है।

उक्त कारणों से स्टेच्युट्स 03 में निम्नानुसार संशोधन प्रस्तावित है:–

वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित प्रावधान
3(1)(i) In case of such person being a teacher in the University on the recommendation of the Vice Chancellor	In case of such person being a teacher of the University on the recommendation of the Vice Chancellor for the period of three years.
3(1)(ii) In any other case on recommendation of the selection committee constituted for the purpose by the said Board	In any other case (against Clear sancationed post by the State Govt.) on recommendation of the selection committee constituted for the purpose by the 1974 act. of state Govt.
4- The salary,allowances and other conditions of serice of the directors shall be such as may be prescribed by the ordinances of the University	The salary,allowances and other conditions of serice of the directors shall be as per state Govt. rules if he selected by the selecation committee and in case of a teacher of the University salary and allowance will be drawn from his original post.
5- A director shall be retire on attaining the age of sixty years	A director shall be retire on attaining the age of sixty years or as dicided time to time by The Govt. of Raj.

निर्णय:–प्रबंध मंडल द्वारा प्रस्तावित उपरोक्त संशोधनों का अनुमोदन करते हुए निर्णय किया कि स्टेच्युट्स संशोधन के सम्बन्ध में आगामी कार्यवाही विश्वविद्यालय अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार की जाए।

(2) विश्वविद्यालय में निदेशक के पदों के निर्धारण सम्बन्धी प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय अधिनियम में वर्णित स्टेच्युट्स 03 में निम्नानुसार वर्णित किया गया है:–"There shall be appointed as many directors as the Board of Management deem proper and one of the director shall be in-Charge of the administrative affairs of the teachers"

निर्णयः—प्रबंध मंडल द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए विश्वविद्यालय अधिनियम के स्टेच्युट्स 3(1)(i) के तहत निदेशकों के निम्नलिखित पद स्वीकृत करते हुए निर्णय किया कि इस प्रावधान के तहत स्वीकृत निम्नलिखित पदों के सम्बन्ध में राज्य सरकार को भी अवगत करवाया जाए।

1. निदेशक (क्षेत्रीय सेवा)
2. निदेशक (योजना, विकास एवं संकाय)
3. निदेशक (केन्द्रीय पुस्ताकालय)
4. निदेशक (शोध)
5. निदेशक (सामग्री उत्पादन एवं वितरण)
6. निदेशक, विद्यापीठ (वर्तमान संख्या 04)

साथ ही प्रबंध मंडल द्वारा यह भी निर्णय किया गया कि स्टेच्युट्स 3(1)(ii) के तहत राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत क्षेत्रीय निदेशकों के पद रिक्त होने की स्थिति में इन्हें भी निश्चित अवधि अथवा नियमित प्रकिया से चयन होने तक (जो भी पहले हो) प्रबंध मंडल द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यरत सह आचार्यो में से भरा जा सकेगा।

(3) स्टेच्युट्स 20 की उपधारा 03 में भी निम्नानुसार संशोधन प्रस्तावित हैः—

वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन
All memberes of the Board other than the ex-officio members,shall hold office for a term of two years, The term of member will commence from such date as may be notified. The new Director will succeed on the bassis of seniority from the list of faculty member of disciplines assigned to the School, The term of the Director of the School shll be three years.	All members of the Board other than the ex-officio members,shall hold office for a term of two years, The term of member will commence from such date as may be notified. The new Director will succeed on the bassis of seniority from the list of confirm faculty member up to the level of associate professor of disciplines assigned to the School, The term of the Director of the School shll be three years.

निर्णयः— प्रबंध मंडल ने स्टेच्युट्स 20 की उपधारा 03 में प्रस्तावित उक्त संशोधन का अनुमोदन करते हुए विश्वविद्यालय अधिनियम में वर्णित प्रावधान के अनुसार आगामी कार्यवाही का निर्देश दिए।

88/09 कार्यसूची विवरण के साथ प्रस्तुत अधिकारियों एवं कर्मचारियों स्थानांतरण नीति के सम्बन्ध में विचार विमर्श उपरांत कुछ संशोधन बाद निम्नलिखित नीति का अनुमोदन किया गया:–

1. स्थानांतरण माह मई/जून में ही किए जाएंगे।
2. पति एवं पत्नी को एक ही स्थान पर पदस्थापित किया जाएगा।
3. कर्मचारियों के स्वेच्छिक स्थानांतरण पद रिक्त होने की स्थिति में ही किए जाएंगे, यदि किसी क्षेत्रीय केन्द्र पर स्वीकृत पदों से अधिक कर्मचारी स्वच्छिक स्थानांतरण चाहते हैं तो स्थानांतरण चाहने वाले कर्मचारियों की सर्वाधिक ठहराव की अवधि के कमानुसार रोटेशन बनाया जाएगा एवं सबसे अधिक ठहराव वाले कर्मचारी को स्थानांतरित किया जाएगा।
4. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का स्थानांतरण अपरिहार्य प्रशासनिक कार्यो से अथवा शिकायत की स्थिति को छोड़कर सामान्यतया उनके निवास स्थान से नहीं किया जाएगा।
5. एकाकी पद वाले कार्मिकों का स्थानांतरण उन्ही विभागों में किया जाएगा जिन विभागों में उनके पद स्वीकृत है।
6. किसी अधिकारी/कर्मचारी/च0श्रे0 कर्मचारी के कार्य के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो ऐसे कार्मिकों के स्थानांतरण के सम्बन्ध में बिना न्यूनतम/अधिकतम अवधि के ठहराव को ध्यान में रखे कुलपति महोदय द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा।
7. विभागाध्यक्ष किसी कार्मिक का स्थानांतरण रूकवाने के लिए एक बार ही अनुशंसा कर सकेंगे है, दूसरी बार स्थानांतरण रूकवाने के लिए अनुशंसा नहीं की जाएगी।
8. विभागाध्यक्षों द्वारा भी प्रत्येक दो वर्ष में विभाग में कार्यरत कार्मिकों के कार्यो में आवश्यक रूप से बदलाव किया जाएगा ताकि सभी कार्मिक समस्त प्रकार का कार्य करने का अनुभव प्राप्त कर सकें एवं स्थानांतरण की स्थिति में कार्य प्रभावित नही हो।
9. पदौन्नति के बाद पदौन्नत कर्मचारी का स्थानांतरण/अनुभाग परिर्वतन आवश्यक रूप से किया जाएगा। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता नहीं होगी।
10. माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यक समझे जाने पर विश्वविद्यालय हित में उपरोक्त नीति के अतिरिक्त भी स्थानांतरण के सम्बन्ध में निर्णय किए जा सकेंगे।

88/10 श्री राकेश शर्मा, निलंबित सहायक आचार्य, को निलम्बन से बहाल करने हेतु प्रबंध मंडल की बैठक के प्रस्ताव संख्या 87/17(3)रखा गया था। जिसमें प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय हुआ था।राज्य सरकार ने अपने पत्रांक प. 8(1)/शि–4/2014 दिनांक 09 अप्रेल 2014 से अवगत कराया है कि वि0वि0 अपने स्तर पर उचित निर्णय करे।

प्रस्ताव का अवलोकन करते हुए बाद विचार विमर्श यह निर्णय किया गया कि निलंबन अवधि को तीन वर्ष पूर्ण होने अथवा चालान प्रस्तुत हुए एक वर्ष का समय व्यतीत होने के बाद (जो भी पहले हो) प्रकरण को राज्य सरकार के समक्ष, प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र कमांक प.6(23)प्र.सु./अनु03/99 दिनांक 12 जनवरी 2011(प्रति संलग्न परि0–01) में उल्लेखित समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु भेजा जाए।

88/11 क्षेत्रीय केन्द्रों के स्टाफिंग पेटर्न सम्बन्धी प्रस्ताव

क्षेत्रीय केन्द्रों के स्टाफिंग पेटर्न के सम्बन्ध में प्रबंध मंडल द्वारा बाद विचार विमर्श निर्णय किया गया कि प्रस्तावित पेटर्न में क्षेत्रीय केन्द्रों पर केवल सहायक कुलसचिव के स्थान पर उप / सहायक कुलसचिव करते हुए निम्नानुसार स्टाफिंग पेटर्न का अनुमोदन किया गया:–

1.	क्षेत्रीय निदेशक	एक
2.	उप/सहा0 कुलसचिव	एक
3.	सहायक अनुभाग अधिकारी (स्थापना कार्य हेतु)	एक
4.	लिपिक ग्रेड प्रथम	चार
5.	लिपिक ग्रेड द्वितीय	चार
6.	च0 श्रे0 कर्मचारी	चार

इसके अतिरिक्त प्रबंध मंडल द्वारा यह भी निर्णय किया गया कि प्रस्ताव में स्टाफ का जो कार्यविभाजन दर्शाया गया है उसमें निदेशक क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा आवश्यकतानुसार परिर्वतन किया जा सकता है।

88/12 क्षेत्रीय केन्द्र जयपुर पर एक अनुभाग अधिकारी पदस्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय के विरूद्व जयपुर में उच्च न्यायालयों, राज्य उपभोक्ता मंच, राज्य सूचना आयोग में दायर विभिन्न प्रकरणों में पैरवी हेतु नियुक्त अधिवक्ताओं एवं मुख्यालय के मध्य लाइजनिंग रखने एवं उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त प्रबंध मंडल सहित विश्वविद्यालय की कई महत्वपूर्ण बैठकें भी जयपुर में आयोजित की जाती है इनकी व्यवस्था करने तथा सचिवालय एवं राज्य सरकार के अन्य विभागों तथा विश्वविद्यालय के मध्य लाइजनिंग बनाए रखने का कार्य भी क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा संपादित किया जाता है। यह समस्त कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, अतः इन कार्यों को संपादित करने के लिए क्षेत्रीय केन्द्र जयपुर में लाइजनिंग अधिकारी के रूप में एक अनुभाग अधिकारी का पदस्थापन किया जाना प्रस्तावित है, जो कुलसचिव के निर्देश में कार्य करेगा।

निर्णय:—प्रबंध मंडल द्वारा क्षेत्रीय केन्द्र जयपुर पर अनुभाग अधिकारी के पदस्थापन के प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए निर्णय किया कि उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर प्रकरणों को ध्यान में रखते हुए क्षे0के0 जोधपुर पर भी एक अनुभागधिकारी के पद रखा जाए तथा उक्त दोनों अनुभागधिकारी संबधित निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा बताए गए अन्य कार्य भी संपादित करेंगे।

88/13 निदेशक, क्षेत्रीय सेवा एवं निदेशक क्षेत्रीय केन्द्रों के लिए निरीक्षण एवं यात्रा (Inspecction and Touring) नामर्स का निर्धारण।

प्रस्ताव का अवलोकन करते हुए निदेशक, क्षे0सेवा तथा निदेशक क्षे0 के0 लिए निम्नानुसार ट्युरिंग नामर्स का अनुमोदन किया गया:–

निदेशक (क्षेत्रीय सेवा):–

1. एक वित्तिय वर्ष में 10 प्रतिशत अध्ययन केन्द्रों का निरीक्षण।
2. प्रत्येक वित्तिय वर्ष में एक बार प्रत्येक क्षेत्रीय केन्द्र का निरीक्षण।
3. एक वित्तिय वर्ष में कम से कम 48 दिवस की निरीक्षण हेतु यात्रा।
4. प्रत्येक तीन माह में मुख्यालय पर क्षेत्रीय केन्द्रों के कार्यो की समीक्षा हेतु निदेशक क्षेत्रीय केन्द्रों के साथ बैठकें आयोजित करना।

निदेशक (क्षेत्रीय केन्द्र):–

1. क्षेत्रीय केन्द्र के अधीन संचालित समस्त अध्ययन केन्द्रों का वर्ष में एक बार निरीक्षण।
2. एक वित्तिय वर्ष में 72 दिवस की निरीक्षण हेतु यात्रा।
3. प्रति माह अध्ययन केन्द्रों के कार्यो की समीक्षा एवं किए जा रहे कार्यो की जानकारी हेतु अधनीन्स्थ कार्डिनेटर्स की बैठक आयोजित करना।
4. वर्ष में एक बार क्षेत्र केन्द्र के कार्यो का निरीक्षण करना

88/14 विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर/एमेरेटस प्रोफेसर एवं विजिटिंग फलौ के प्रावधान लागू करने के सम्बन्धी प्रस्ताव ।

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय अधिनियम 1987 में वर्णित स्टेच्युट्स 07 (एफ) एवं 13(2) में निम्नलिखित प्रावधान वर्णित है:–

स्टेच्युट्स 07 (एफ):– to regulate and approve the appointment of Visiting Professors, Emeritus Professors, Fellows, artists and writers and to determinge the terms and conditions of such appointments;

स्टेच्युट्स 13 (2):– "The Board of Management may also appointment for a fixed tenure or otherwise a person working as a teacher or in the academic staff in any other University or organiation, for teaching or undertaking a project or anyother work on such terms and conditions as may be determined by the Board."

विश्वविद्यालय द्वारा कई शैक्षणिक कार्य यथा पाठ्यक्रम लिखवाना, उनका अपडेशन करवाना, आंतरिक मूल्यांकन तैयार करवाना आदि कार्य वर्तमान में भी विश्वविद्यालय के बाहर के शिक्षकों से तैयार करवाए जाते है, जिनका भुगतान निर्धारित दरों पर किया जाता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की गाइडलाइन के अनुसार भी विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित पाठ्यकमों में कम से कम एक शिक्षक उस पाठ्यक्रम से सम्बन्धित होना

चाहिए।वर्तमान में यह सम्भव नहीं हो पाता है कि प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए एक स्थाई शिक्षक की नियुक्ति की जाए।

उपरोक्त नियमों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्तावित है कि विश्वविद्यालय द्वारा सेवारत बाहरी शिक्षकों से शैक्षणिक कार्य करवाया जाता है, एवं जो यु0जी0सी0 द्वारा निर्धारित योग्यता धारित है उन्हें उनकी सेवा अवधि को देखते हुए इस विश्वविद्यालय के विजिटिंग प्रोफेसर तथा सेवारत शिक्षकों को एमेरेटस प्रोफेसर के रूप में जोड़ा जावें। साथ ही उनके अतिरिक्त अन्य शिक्षकों को जो प्रोफेसर की यु0जी0सी0 द्वारा निर्धारित योग्यता नहीं रखते हैं एवं उनकी सेवा अवधि भी 13 वर्ष से कम है, उन्हें इस विश्वविद्यालय के विजिटिंग फैलो के रूप में जोड़ा जावे।

सेवारत शिक्षकों को इस विश्वविद्यालय द्वारा किसी प्रकार के वेतन भत्ते देय नहीं होंगे। विजिटिंग प्रोफेसर, एमरटस/फैलो यदि विश्वविद्यालय कार्य से यात्रा करते हैं तो उन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। तथा विश्वविद्यालय कोर्स राइटिंग, आडियो विज्युअल कार्य, काउसंलिंग हेतु विश्वविद्यालय द्वारा उक्त कार्यो हेतु निर्धारित मानदेय दिया जायगा विश्वविद्यालय की बैठकों में भाग लेने हेतु निर्धारित बैठक भत्ता तथा विश्वविद्यालय कार्य से यात्रा हेतु यात्रा भत्ता भी देय होगा।

यदि उक्त व्यवस्था लागू की जाती है तो विश्वविद्यालय की एकेडेमिक फैकल्टी सुदृढ होगी एवं किसी प्रकार का अतिरिक्त वित्तिय भार भी विश्वविद्यालय को वहन नहीं करना पड़ेगा।

निर्णयः—प्रबंध मंडल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

88/15 वित्त समिति की 52 वीं बैठक दिनांक 10 मार्च 2014 द्वारा वित्तिय वर्ष 2013–14 के आयोजनेत्तर मद में पुनरीक्षित प्रस्ताव एवं वर्ष 2014–15 का अनुमानित प्रस्तावों को अनुमोदित करते हुए प्रबंध मंडल की स्वीकृति हेतु अभिशंसा की है, जो कि संलग्न परिशिष्ट पर अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। बाद विचार विमर्श वर्ष 2013–14 के लिए पुनरीक्षित बजट एवं वर्ष 2014–15 के लिए अनुमानित बजट स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णयः—प्रबंध मंडल द्वारा वर्ष 2013–14 के लिए पुनरीक्षित बजट एवं वर्ष 2014–15 के लिए अनुमानित बजट का अनुमोदन करते हुए निर्णय किया कि राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय सेमीनार में भाग लेने हेतु पंजीकरण शुल्क एवं यात्रा का न्युनतम प्रभार ही देय होगा तथा वि0वि0 शिक्षकों को वर्ष में एक बार राष्ट्रीय सेमीनार एवं तीन वर्ष में एक बार अंतराष्ट्रीय सेमीनार में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। इसके अतिरिक्त बजट में विदेश यात्रा मद के स्थान पर फैकल्टी डवलपमेंट मद दर्शाया जाए।

88/16 सेवानिवृत्त अधिकारियों की पुर्ननियुक्ति बाबत् प्रस्ताव।

प्रबंध मंडल द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा कर निर्णय किया गया कि प्रस्ताव में वर्णित सेवानिवृत्त अधिकारियों की पुर्ननियुक्ति के स्थान पर राज्य सरकार के परिपत्र कमांक एफ.12(6)एफडी(रूल्स)/2009 दिनांक 27.09.2013 (प्रति संलग्न परि0–02) के तहत स्थाई मानदेय के आधार पर नियुक्ति की जाए तथा इस सम्बन्ध में समय समय पर राज्य सरकार के निर्देशों/ओदशों की पालना की जाए।

88/17 राज्य सरकार के विभिन्न नियमों को विश्वविद्यालय में लागू किए जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव निर्णयार्थ।

प्रस्तावानुसार राज्य सरकार के निम्नलिखित आदेश/ नियमों को विश्वविद्यालय में लागू किए जाने का निर्णय किया गया :–

(i) The Rajasthan Serivece rules, 1951 ,as amended time to time ;
(ii) The Rajasthan civil Serivece (Classification, Control and Appeal) rules 1958 as amended time to time ;
(iii) The Rajasthan Traveling Allowance rules 1971 as amended time to time;
(iv) The Rajasthan civil Serivece (conduct) rules 1971 as amended time to time ;
(v) The Rajasthan civil Serivece (Pension) rules 1996 as amended time to time ;
(vi) The Rajasthan civil Serivece (Revised pay scale) rules 1998 as amended time to time ;
(vii) The Rajasthan civil Serivece (Conributory pernsion) rules 2005 as amended time to time ;
(viii) The Rajasthan civil Serivece (Revised pay scale) rules 2008 as amended time to time ;
(ix) Rajasthan subordinate offices Ministrial Service rules 1999 as amended time to time ;
(x) Rajasthan class IV Service rules 1999 as amended time to time ;
(xi) Rajasthan civil Serivece (Medical Attendance) rules 2013 as amended time to time ;
(xii) G F & A R as amended time to time ;
(xiii) UGC regulation 2010 for teacher as accepeted by the state govt. time to time

88/18 वर्ष 2012–13 की वार्षिक रिपोर्ट अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ।

प्रबंध मंडल द्वार वर्ष 2012–13 की वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन करते हुए विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत सम्बन्धितों को भिजवाने का निर्णय किया गया।

88/19(1) परीक्षा नियंत्रक का पद प्रतिनियुक्ति पर भरे जाने का प्रस्ताव।

प्रस्ताव पर विचार विमर्श के दौरान सदन के समक्ष यह तथ्य प्रस्तुत किया गया कि विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 07 में अधिकारियों में परीक्षा नियंत्रक को विश्वविद्यालय का अधिकारी बताया गया है, तथा धारा 28 में Power to appoint Government Servants का उल्लेख निम्नानुसार है:–

Notwithstanding anything contained in any provision of this act, the State Govt. may, on the commencement of this Act, or at any time thereafter, appoint, on deputation or otherwise , a Government Servant in the vacancy of an officer of the University for such period as it may deem necessary.

प्रबंध मंडल द्वारा उक्त प्रावधानों के आधार पर यह निर्णय किया कि राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति की सहमति प्राप्त करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा निदेशक कालेज शिक्षा से उनके अधीन कार्यरत चयनित वेतनमान में कार्यरत व्याख्याता जिनकी सेवा 15 वर्ष या उससे अधिक की हो से आवेदन प्राप्त करने के लिए लिखा जाए, प्राप्त आवेदन पत्रों को निदेशक कालेज शिक्षा द्वारा विश्वविद्यालय को भेजा जाए जिसमें से विश्वविद्यालय द्वारा तीन शिक्षकों का पैनल निदेशक कालेज शिक्षा को भेजा जाए उक्त पैनल में से निदेशक, कालेज शिक्षा द्वारा किसी एक शिक्षक को परीक्षा नियंत्रक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने के आदेश जारी किए जाए।

88/19(2) भरतपुर संभाग में क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव।

भरतपुर संभाग में विश्वविद्यालय का नया क्षेत्रीय केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता एवं विश्वविद्यालय की छात्र संख्या में होने वाली वृद्वि को ध्यान में रखते हुए भरतपुर में नया क्षेत्रीय केन्द्र खोले जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए निर्णय लिया गया कि भरतपुर क्षेत्रीय केन्द्र के लिए कोई अतिरिक्त स्टाफ की मांग अथवा पद सृजन नहीं किया जाए बल्कि विश्वविद्यालय के वर्तमान स्टाफ में से ही क्षेत्रीय केन्द्रों हेतु निर्धारित स्टाफिंग पेटर्न के अनुसार पदस्थापन किया जाए। केवल क्षेत्रीय निदेशक, के पद क सृजन हेतु राज्य सरकार को लिखा जाए तथा पद स्वीकृत होन एवं उस पर नियमित भर्ती नहीं होने तक निर्णय संख्या 88/08(2) के अनुसार विश्वविद्यालय शिक्षकों में से क्षेत्रीय निदेशक का पद भरा जाए ताकि विश्वविद्यालय पर किसी प्रकार का अतिरिक्त वित्तिय भार नहीं पड़े। प्रबंध मंडल द्वारा उपरोक्त निर्णय की पालना से पूर्व राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त करने के निर्देश भी दिए गए।

88/19(3) डा0 आर0 वी0 व्यास के आडिट आक्षेप सम्बन्धी प्रस्ताव।

समयाभाव के कारण प्रस्ताव पर समग्र रूप से चर्चा संभव नहीं हो सकी किंतु सदस्यगणों का विचार था कि प्रस्ताव को राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भेजकर, राज्य सरकार के निर्णय के परिपेक्ष्य में प्रस्ताव तैयार कर प्रबंध मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

तत्पश्चात् आसन के प्रति धन्यवाद ज्ञाप्ति करने के बाद बैठक समाप्त घोषित की गई।

कुलसचिव
एवं सचिव (प्रबंध मंडल)

पत्र — 01
(88/10)

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार विभाग (अनु–3)

कमांक प. 6(23)प्र.सु/अनु–3/99 जयपुर, दिनांक : 12.1.2011

आज्ञा :–

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो/पुलिस द्वारा पंजीबद्ध आपराधिक प्रकरणो में निलम्बित किये गये अधीनस्थ सेवा के राजसेवकों के मामलो का पुनर्विलोकन करने हेतु महामहिम राज्यपाल महोदय की आज्ञा से निम्न सदस्यों की समिति का गठन एतद्द्वारा किया जाता है :–

1	संबंधित विभाग के प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव	अध्यक्ष
2	महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो/पुलिस द्वारा मनोनीत अधिकारी जो महानिरीक्षक के स्तर से नीचे का न हो	सदस्य
3	शासन प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक द्वारा मनोनीत उप सचिव या उनके स्तर का अधिकारी	सदस्य
4	विभागाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी जो उप सचिव स्तर से नीचे का न हो	सदस्य सचिव

समिति तीन वर्ष से अधिक समयावधि से लम्बित निलम्बन के मामलो का, जिसमें न्यायालय में चालान प्रस्तुत किये हुए एक वर्ष का समय व्यतीत हो गया हो, का पुनर्विलोकन करेगी।

समिति की बैठक 6 माह में एक बार अवश्य होगी तथा समिति अपनी सिफारिशें प्रशासनिक सचिव को प्रस्तुत करेगी जो प्रत्येक प्रकरण के सबंध में तथ्यों के आधार पर उचित निर्णय लेंगे।

उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग सबंधित प्रशासनिक विभाग होगा।

आज्ञा से,
(हस्ताक्षर)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय/ मा0 मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय/शासन प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग।
3. समस्त शासन प्रमुख सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।
4. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो / पुलिस, राज0 जयपुर।
5. समिति से सबंधित समस्त सदस्यगण।
6. शासन उप सचिव,कार्मिक(क–3/शिका) विभाग, शासन सचिवालय,जयपुर को आदेश की अतिरिक्त प्रतियां समस्त सबंधित को वितरण हेतु प्रेषित है।
7. रक्षित पत्रावली।

(हस्ताक्षर)
अनुभागाधिकारी

नोटः–समिति से सबंधित समस्त पत्र व्यवहार कार्मिक (क–3/शिका)विभाग शासन सचिवालय जयपुर से करें।

पारि० – 2
(88/15)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(RULES DIVISION)

NOTIFICATION

No. F.12(6)FD(Rules)/2009 **Jaipur, dated : 27.09.2013**

Subject : Amendment in Rajasthan Civil Services (Pension) Rules, 1996.

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Civil Services (Pension) Rules, 1996, namely :-

1. These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Pension) (Amendment) Rules, 2013.

2. These rules shall come into force with immediate effect.
3. In the aforesaid rules -

   (i) the existing words "Department of Personnel" appearing in Rule 151 shall be substituted by the words "Department of Personnel and Finance Department".

   (ii) after the existing Rule 164, the following new Rule 164A shall be inserted, namely -

"164A. Notwithstanding anything contained in Rule 149 to 164, in cases where the post is lying vacant in any service and regular recruitment to the post shall take time and the post can not be retained vacant in public interest, in such cases the retired Government servant who have not completed the age of 65 years can be reemployed with the prior concurrence of Department of Personnel and Finance Department for one year at a time or the regularly selected persons are available for appointment, whichever is earlier. Such retired reemployed employees shall be allowed consolidated remuneration as decided by Government in Department of Personnel from time to time. During the period of reemployment only casual leave shall be admissible and any other kind of leave with remuneration shall not be admissible"

By order of the Governor,

(Akhil Arora)
Secretary to the Government,
Finance (Budget)

(15/15)

H:\Jain ji\Jain ji..Mantrimandal Notice..Sameer.doc

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा।

क्रमांकः–वमखुविवि/कुस/14/1885–91 दिनांकः–24-6-14

1. श्री मधुकर गुप्ता, संभागीय आयुक्त, जयपुर। (प्रतिनिधि वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।)
2. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार सचिवालय, जयपुर।
3. प्रो0 एम0 एम0 सांलुखे, सलाहकार, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू।
4. प्रो0 श्रीमती मंजूलिका श्रीवास्तव, दूरस्थ शिक्षा विभाग, इंदिरा गांधी रा0 मु0 विश्वविद्यालय, मैदान गढी, नई दिल्ली।
5. प्रो0 प्रदीप साहनी, स्कुल आफ सोशियल सांइस, इंदिरा गांधी रा0 मु0 विश्वविद्यालय, मैदान गढी, नई दिल्ली।
6. प्रो0 एल0 आर0 गुर्जर, आचार्य, राज0 विज्ञान, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।
7. डा0 अरविंद पारीक, निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

विषयः–प्रबंध मंडल की 88वीं बैठक दिनांक 14 जून 2014 के कार्यवाही विवरण के सम्बन्ध में।

संदर्भः– इस कार्यालय का पूर्व पत्र क्रमांक 1857–63 दिनांक 24.06.14

महोदय,

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रेषित कार्यवाही विवरण के क्रम में निवेदन है कि प्रबंध मंडल के निर्णय संख्या 88/11 में क्षेत्रीय केन्द्रों हेतु निर्धारित स्टाफिंग पेटर्न में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या चार के स्थान पर पांच पढी जाए।

उक्त पत्र माननीय कुलपति ममहोदय के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

सादर।

भवदीय

(बी0एल0 कोठारी)
कुलसचिव एवं सचिव
(प्रबंध मंडल)